

फील्डर/बाना (अधीनारी)
⑥ East

जिन शिकायत प्रकोष्ठ
कमिश्नर, कानपुर नगर
सी.पी.ओ. 01-376-25
दिनांक: 22/02/2025

दिनांक: 27 March 2025

सेवा में,

Commissioner of Police,

कानपुर नगर,

कानपुर

विषय: प्रकरण संख्या 267/2025 के संबंध में मेरी पीड़ा एवं न्याय हेतु विनम्र निवेदन

माननीय महोदय,

मैं, उमा बागला, स्वर्गीय अनिल बागला की पत्नी, आयु 68 वर्ष, अत्यंत दुखी, भयभीत तथा मानसिक एवं आर्थिक रूप से अभिभूत अवस्था में आपसे न्याय की गुहार लगाती हूँ; मैं अपने पति के साथ अपने पैतृक निवास स्थान पर रहती थी, परंतु 2005 में उनके देहांत के पश्चात् मेरा सम्पूर्ण गुजर-बसर मेरी विवाहित पुत्री पर निर्भर हो गया है।

वर्ष 2014 में मुझे अपने पति के घर, 26/70 बागला निवास, बिरहाना रोड, कानपुर में, परिवार के कुछ सदस्यों द्वारा की जा रही अमानवीय प्रताड़ना एवं मानसिक उत्पीड़न के कारण मजबूरी में अपने पति का पैतृक निवास स्थान छोड़ना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप उस समय मुझे जानबूझकर पानी, बिजली तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया। इसके पश्चात् मैं अपनी विवाहित पुत्री के साथ गाजियाबाद में निवास कर रही हूँ, जहाँ मुझे आश्रय एवं सुरक्षा प्राप्त है।

यह संपत्ति मूलतः दिवंगत दुर्गा देवी के स्वामित्व में थी, जिन्होंने विभिन्न परिवार के सदस्यों के बीच अलग-अलग मंजिलों का वितरण किया था, जिसके कारण यह संपत्ति साझा स्वामित्व की स्थिति में है। इसी संपत्ति से संबंधित अंतिम यादगार होने के कारण मेरे पति की मृत्यु के पश्चात् इस पर मेरा अधिकार था, जिसे लेकर परिवार के कुछ अन्य सदस्यों ने मुझे कई वर्षों से लगातार मानसिक दबाव में रखने का प्रयास किया।

महेंद्र बागला एवं उनके परिवार ने बार-बार मुझे मेरी हिस्सेदारी वाले इस संपत्ति को बेचने के लिए दबाव डाला। उन्होंने धमकी दी कि यदि मैंने इसे विक्रय नहीं किया तो मुझे सम्पूर्ण रूप से खाली हाथ छोड़ दिया जाएगा और जीवन भर कुछ भी नहीं मिलेगा। उन्होंने मेरी आर्थिक असहायता का फायदा उठाते हुए, मेरे खाते में मेरी सहमति के बिना 50,000 रुपये जमा किए जो मैंने वापिस कर दिए, फिर मेरे घर पर खाली चेक छोड़ गए।

1 फरवरी को, अत्यंत भय और दबाव में मुझे कानपुर बुलाया गया कि सभी एक साथ बैठकर हिस्सा ले रहे हैं। जब मैं रजिस्ट्रार कार्यालय पहुँची, तो देखा कि पहले से ही चार व्यक्ति प्रतीक्षारत थे, जो मेरे लिए अत्यंत भयावह स्थिति उत्पन्न कर रहे थे। उसी दिन मुझे झूठे आश्वासन में बताया गया कि संपत्ति का बाजार मूल्य लगभग 75 लाख रुपये है, परंतु मुझे 60 लाख रुपये देने का वादा किया गया था। अंततः, दबाव में मुझे केवल 30 लाख रुपये मेरे खाते में NEFT द्वारा ट्रांसफर किए गए, और बाकी 30 लाख रुपये बाद में देने का आश्वासन दिया गया, जबकि दस्तावेजों पर बिना जाँच के मेरे हस्ताक्षर करवा लिए गए। मेरी बेटी और उसके झड़वर को भी सुरक्षा की चिंता में गवाह बनाने का दबाव डाला गया।

22 फरवरी को बिना किसी पूर्वसूचना के, मुझे यह जानकारी अत्यंत सदमा पहुँचा कि मेरा बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया है। एवं 28 फरवरी को मुझे पता चला कि मैं विरुद्ध महेंद्र बागला एवं उनके परिवार द्वारा झूठी शिकायत दर्ज की गई है। उन्होंने मेरी हिस्सेदारी के बारे में गलत जानकारी प्रस्तुत कर, धोखाधड़ी से विवाद उत्पन्न करने की योजना बनाई है, जिससे मेरा कानूनी एवं वित्तीय शोषण हुआ है।

इन घटनाओं से मेरा न केवल आर्थिक हनन हुआ है, बल्कि मेरे और मेरी पुत्री के जीवन एवं सुरक्षा पर भी गंभीर संकट मंडरा रहा है। मुझे इस भय का सामना करना पड़ रहा है कि यदि इस विवाद से संबंधित धनराशि मेरे पास रहे, तो महेंद्र बागला तथा उनके अपराधी इरादों के कारण वह सदैव मेरे परिवार के लिए खतरा बनी रहेगी। अतः, मैं स्पष्ट रूप से कहती हूँ कि मैं महेंद्र बागला द्वारा दी गई संपत्ति 30 लाख रुपये की धनराशि को वापस करने के लिए तैयार हूँ, ताकि मेरी सुरक्षा एवं मानसिक शांति पुनः स्थापित हो सके।

मैं पुनः यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मेरी कभी भी इस संपत्ति का विक्रय करने की कोई मंशा नहीं थी और न ही किसी भी कीमत पर मैं इसे विक्रय करने के बारे में सोच सकती हूँ। मेरी इच्छा है कि इस संपत्ति को पुनः मेरे अधिकार में लाया जाए। मैं आपके समक्ष अपनी निर्दोषता तथा सच्चाई का पूर्ण प्रमाण प्रस्तुत करती हूँ एवं जांच में हर संभव सहयोग करने को तत्पर हूँ।

कृपया मेरी पीड़ा, मेरे भय और आर्थिक असहायता को ध्यान में रखते हुए मुझे न्याय प्रदान करने की कृपा करें। आपकी सहायता एवं न्याय के लिए मैं सदैव आभारी रहूँगी।

सादर धन्यवाद,

Uma Bagla
उमा बागला

(पत्नी स्वर्गीय अनिल बागला)

संपर्क नंबर: 9873161701

दिनांक: 27 March 2025

*From
Richa Sharma
Daughter of
Uma Bagla*